IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 5, November 2025 Impact Factor: 7.67

# जनजातियों में विस्थापन, पुनर्वास और सामाजिक परिवर्तन का एक अध्ययन

डॉ. के. पी. अहिरवार
सेवानिवृत्त प्राचार्य
(समाजशास्त्र विभाग)
शासकीय ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दमोह, जिला-दमोह (म.प्र.)

प्रज्ञा सिंह
शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग
महाराजा छात्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर (म.प्र.)

**शोध सारांश -**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार, सरकार द्वारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है। भूमि अधिग्रहण एक कानूनी स्थिति है। लेकिन पुनर्वास कोई कानूनी स्थिति नहीं है। उदाहरण के लिए, जो आजीविका से वंचित है, उसके पुनर्वास के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। भूमि अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहणकर्ता को मुआवज़ा देना है। भूमि अधिग्रहण में संपत्ति खोने वाला व्यक्ति उन जनजातियों के लिए जो मूल स्थान पर आ गए हैं। जंगल के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। जंगल भोजन, चारा, ईंधन और अन्य दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं का स्रोत है। लेकिन अब विस्थापन के बाद जंगल तक उनकी पहुँच प्रतिबंधित है। विस्थापित लोगों के बारे में कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उनके अपने निवास स्थान की तुलना में निचले स्तर पर धकेल दी गई है। सामाजिक परिवर्तन भी देखे गए हैं, जैसे उनकी अपनी संस्कृति में बदलाव अपने पारंपरिक रीति–रिवाजों और मूल्यों, लोककथाओं और नृत्य को भूलकर, वे नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्र में आए। उनमें से कई रिक्शा चलाते थे और यह बताने में झिझकते थे कि वे एक जनजाति हैं।

**मुख्य शब्द** - विस्थापन, जनजातिया, पुनर्वास, सामाजिक परिवर्तन, आदि।